



श्री अशोक गहलोत  
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शांति धारीवाल  
माननीय मंत्री, स्वास्थ्य शासन,  
नागरिक विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान सरकार



# राजस्थान आवासन मण्डल

## GREENWOOD MANSION के पंजीकरण हेतु

आर.एच.बी. ग्रीनवुड, सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

### स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष-2023

RERA Reg. No.: RAJ/P/2023/2411

<http://rera.rajasthan.gov.in>

आय वर्ग के विलाज

आवेदन | .....  
अवधि | .....



‘मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’


## आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत

### मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- १ मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, रसमय च श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से मूल्यांक खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- २ मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही बर्जे में मकान आपका हो जायेगा।
- ३ मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं / वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समर्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- ४ मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कोलोनी में जग्हान, रक्कूल, दुकानें, यातायात युक्त राफ रवरथ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- ५ मण्डल द्वारा जारी के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निविवाद रूप से मण्डल के मकान रास्ते पड़ते हैं।



## RAJASTHAN HOUSING BOARD PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR





# राजस्थान आवासन मण्डल

## Greenwood Mansion

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु  
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरियता निर्धारण का

### कार्यक्रम

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ऑनलाईन आवेदन—पत्र उपलब्ध :</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने :</li> </ol>     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण :</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने :</li> </ol> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों :</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी :</li> </ol>          |
| आवेदन की तिथि एवं स्थान<br><b>आयोजन की तिथि एवं स्थान</b>                                 |  |

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट  
[www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर  
 सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

### सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड—तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 08, हल्दीघाटी गेट के पास प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन : 0141—2791198 मो. नं. 9982221822	उप आवासन आयुक्त, वृत—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर फोन : 0141 — 2791320 मो. नं. 9983993868	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 — 2741950 मो. नं. 9983309410
---	--	---

### विशेष

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर ऑनलाईन भरे जायेगे।  
 इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- पंजीकृत राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने खाते से **Internet Banking** मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर **Indian Bank** के खाता संख्या 7419347381 आई.एफ.एस.सी. कोड IDIB000J511 में कि किसी भी बैंक से जमा करा सकते हैं।

## **ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः**

**यह सुनिश्चित करलें कि :-**

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथजमा करानी होगी।

आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:-

- i. आय का प्रमाण पत्र ( ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)
- ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति।
- v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।



# राजस्थान आवासन मण्डल

## Greenwood Mansion

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

### योजना की प्रस्तावना:-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में आवासीय योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। “स्ववित्त पोषित योजना” के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है जिसमें उच्च आय वर्ग के 164 विलाज (उच्च आय वर्ग 3 BHK TYPE I – 46 विलाज, उच्च आय वर्ग 3 BHK TYPE II - 118 विलाज) हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की website : [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर login आवेदन शुल्क राशि कुल रूपये 354/- (पंजीकरण राशि रूपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 354/-) कर ऑनलाईन जमा करवा कर आवेदन कर सकता है। इस योजना में यथा सम्भव सभी मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, पार्किंग, क्लब हाऊस, फायर फायटिंग सिस्टम, रेनवाटर हार्डस्टिंग, लैण्ड स्केपिंग, LED लाईट्स, सुरक्षा गार्ड इत्यादि प्रस्तावित हैं।

इस योजना के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 43912.45 वर्ग मीटर है। जिसमें उच्च आय वर्ग के 164 विलाज (उच्च आय वर्ग 3BHK TYPE I – 46 विलाज , उच्च आय वर्ग 3BHK TYPE II - 118 विलाज) निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

### तालिका—1

विलाज का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	उच्च आय वर्ग विलाज (3BHK – Type-I)	46	2494.10	231.79	158.47
2	उच्च आय वर्ग विलाज (3BHK – Type-II)	118	2169.89	201.66	134.71

### नोट

- (i) उक्त तालिका में विलाज/आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई गई है जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर योजना जयपुर की वर्ष 2023–24 हेतु दिनांक 30.06.2024 तक निर्धारित भूमि एवं विकास दर पर आधारित है। भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः सीमेन्ट, स्टील तथा अन्य निर्माण सामग्री की बाजार दरों में काफी उतार-चढ़ाव आ रहा है इसके कारण विलाज/आवासों की वर्तमान में वास्तविक लागत का अनुमान लगाया जाना कठिन है। चूंकि मण्डल विलाज/आवासों का आवंटन ‘बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत’ के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा विलाज/आवासों आवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/ विवाद मान्य नहीं होगा।
- (ii) विलाज/आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (iii) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क पानी, बिजली के खर्च, स्ट्रीट लाइट, रेन-वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड, क्लब हाऊस एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर, पृथक से रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी के खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त राशि का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही विलाज/आवासों का कब्जा दिया जायेगा। रख-रखाव हेतु गठित

सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख-रखाव के खर्च के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए एफ.डी.आर. बनवाई जाएगी। आवासीय अभियन्ता द्वारा इस मद में प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा-जोखा रखा जाएगा।

### आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यह आवासीय योजना सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

1.	सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र	2.00 कि.मी.
2.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	3.00 कि.मी.
3.	जगतपुरा रेल्वे स्टेशन	5.00 कि.मी.
4.	जवाहर सर्किल	7.00 कि.मी.
5.	जयपुर चौपाटी प्रतापनगर	1.00 कि.मी.

### पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :-

विलाज/आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पंजीकरण करवा सकता है। आवेदन पत्र भरने की तिथि तक व्यस्क भारतीय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है वह भी इस योजना में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाने के पात्र होंगे।

2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम , 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं व्यस्क पुत्र व पुत्री भी पंजीकरण करवा सकता है।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
4. आवेदन पति/पत्नि एवं आश्रितों के संयुक्त नाम से भी किया जा सकेगा।
5. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
6. प्रताप नगर योजना जयपुर के केवल उच्च आय वर्ग के दिनांक 01.01.2023 को पूर्व पंजीकृत आवेदकों को ही आवंटन में मण्डल नियमानुसार वरियता दी जावेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ –पत्र भी प्रस्तुत करेगा की उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
7. पंजीकृत आवेदकों को वर्तमान में मण्डल द्वारा उक्त योजना की निर्धारित पंजीकरण राशि पूरी जमा करवानी होगी।
8. पूर्व पंजीकृत आवेदकों की पूर्व में जमा राशियों का समायोजन मण्डल नियमानुसार आवंटन पत्र में करते हुए जारी किया जावेगा।
9. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नाकिंत श्रेणियों /वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :–

## तालिका—2

क्र. स.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग (5%)	निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11)एकल महिला (10%)	
1	G-1	(i) (अ) राज्य कर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राईवेट सैक्टर के कार्यात कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मी (ब) सैनिक विधवायें/वीरांगनायें (स्थल सैना को प्राथमिकता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	G-2	(i) सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii) प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	G-3	मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	G-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	G-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	G-6	वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	G-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	G-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	G-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड़/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	G-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

10. इस योजना में तालिका—1 में दर्शाई गई विलाज/आवासों हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है:—

## तालिका—3

क्र . सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (आवासो की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	उच्च आय वर्ग विलाज (3 BHK – Type-I)	रु. 18.00 लाख से अधिक	Rs. 1584700 + 5% GST = 1663935/-	Rs 300 + 18% GST = 354.00	Rs 2000 + 18% GST = 2360.00	1666649.00
2.	उच्च आय वर्ग विलाज (3 BHK – Type-II)		Rs. 1347100 + 5% GST = 1414455/-	Rs 300 + 18% GST = 354.00	Rs 2000 + 18% GST = 2360.00	1417169.00

नोट –(i) आवंटी को विलाज/आवासों आवंटन के पश्चात पंजीकरण के समय जमा अधिक पंजीकरण राशि का समायोजन, आवंटित विलाज/आवासों के टाईप की अनुमानित लागत राशि अनुसार जारी किये जाने वाले संशोधित आरक्षण पत्र की देय प्रथम किश्त की राशि में किया जावेगा।

- (ii) अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
- (iii) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी वीरागंनाओं को पंजीकरण राशि का 10% प्रतिशत जमा करवाना होगा।

11. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:–

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

- (स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।
- (द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।
12. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज़/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000/- + 18 प्रतिशत (जी.एस.टी. = रु 2360/-) राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध विलाज/आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। परन्तु यदि उपलब्ध विलाज/आवासों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो असफल आवेदकों की प्रतिक्षा सूची लॉटरी अनुसार रखी जावेगी एवं मूल सफल आवेदकों में से जब भी कोई आवेदक अपात्र होता है अथवा अपना आवंटन रद्द करवा लेता है, तो ऐसी रिक्तता के विरुद्ध प्रतिक्षा सूची के आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन का विकल्प दिया जा सकेगा। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना व्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
15. इस योजना के अन्तर्गत सभी विलाज/आवासों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर आरक्षण पत्र जारी करते हुए आरक्षण पत्र की निम्नानुसार राशि निर्धारित समयावधि में जमा करानी होगी।

#### तालिका-4

क्र.सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1	उच्च आय वर्ग (3 BHK TYPE I, 3 BHK TYPE II) विलाज	प्रथम किश्त	1 माह	22.5 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	22.5 %
		तृतीय किश्त	7 माह	22.5 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	22.5 %

आरक्षण पत्र के अनुसार जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस टी. की राशि अलग से देय होगी।

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः विलाज/आवासों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में विलाज/आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत विलाज/आवासों का निर्माण कार्य “डिपोजिट कार्य” की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
18. आवेदकों को **तालिका-4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
19. **तालिका-4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।
20. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
21. **रिफण्ड**
  - (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को समिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
- (v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।
- (vi) रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल की पंजीकरण योजनाओं में आवेदन करने वाले सफल आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्त/वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत हो) मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार जब्त की जावेगी।
22. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक भवन, फायर फायटिंग, रेनवाटर हार्डस्टिंग की रखरखाव/ देखभाल तथा समिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान,के रख—रखाव एवं सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख—रखाव का खर्च सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर—टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख—रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात विलाज/आवासो का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
24. आवेदकों की वरीयता निर्धारण/विलाज/आवासो आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित

अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को विलाज/आवासों के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् विलाज/आवासों पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें विलाज/आवासों की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में विलाज/आवासों की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा विलाज/आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप विलाज/आवासों के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका विलाज/आवासों के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—  
(क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।  
(ख) **अन्य खर्चे :**  
(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।  
(ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
27. मंडल के विलाज/आवासों केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। विलाज/आवासों में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर विलाज/आवासों का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि विलाज/आवासों का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा विलाज/आवासों का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा

राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वार्षिक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
31. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मण्डल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
35. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **website - [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb)** के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/-) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
36. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त

नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

37. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
38. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
39. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्चा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

## महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन –पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण –पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप संविकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं /भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद /अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड /औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. लॉटरी से जो भी विला/आवास आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित विलाज/आवासों की अदला—बदली चाहते हैं तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।
- viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- ix. विलाज/आवासों आवंटन/कब्जे के बाद विलाज/आवास का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- xi. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

- xii. योजना में नियोजन अनुसार सुविधाओं हेतु भवन का निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए समस्त सामान की खरीद व उसके रख रखाव एवं संचालन तथा आवासीय परिसर की सफाई, रख-रखाव एवं संचालन अन्य योजनाओं की भांति रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।
- xiii. सेक्टर 28 योजना के सामने ही द्वारकापुरी परियोजना (जी+7) में घरेलू नौकर/झाईवर इत्यादि हेतु लगभग 450.00 वर्ग फीट सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल के पलैट्स न्यूनतम मूल्य 6.00 लाख के ई-बिड नीलामी पर उपलब्ध।
- xiv. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।
- xv. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर अवलोकन की जा सकती है।

## शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु.....  
 ..... वर्ष, जाति ..... निवासी .....  
 ..... एतदद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूँगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

## सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
 निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ  
 कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता  
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए  
आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र  
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

### शपथ-पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....आयु.....  
..... जाति ..... निवासी .....  
(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2021–2022 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी—  
अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से  
..... रूपये थी।

- ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग,  
एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय  
..... रूपये थी।
- स. यह कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 में मेरे परिवार की कुल आमदनी .....रूपये  
थी।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

### सत्यापन

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... जाति .....  
..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा  
से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है  
तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

(शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी  
पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा  
आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि  
भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

### आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/  
संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .....में.....पद  
पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के  
उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2021–22 की सकल वार्षिक आय  
रूपये .....थी।

क्रमांक/दिनांक .....

विभागाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

---

### अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / .....पुत्र  
/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी .....जिला .....  
संभाग .....राज्य .....जाति .....के सदस्य हैं जो अनुसूचित  
जाति /जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति  
में हैं।

हस्ताक्षर  
तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

## अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

### प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .....पुत्र /  
पुत्री / पत्नि श्री .....निवासी ग्राम .....  
.जिला .....अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र / पत्रिका (नाम) .....  
.....नियमित रूप से प्रकाशित होता / होती है।

हस्ताक्षर  
सक्षम अधिकारी  
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

---

### भूतपूर्व सैनिकों के लिए / सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / .....पुत्र  
/ पुत्री / पत्नि स्व. श्री .....निवासी .....  
.....सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है / युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है / युद्ध में हताहत हुए  
विकलांग सैनिक है।

सचिव  
राज्य / जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य  
है )

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए  
प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / .....पुत्र  
/ पुत्री / पत्नि श्री .....निवासी .....  
जिला .....स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हे वर्ष .....में राज्य सरकार द्वारा  
ताम्र-पत्र / प्रमाण -पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर / उप सचिव / सहायक सचिव  
(सामान्य प्रशासन विभाग)  
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / .....पुत्र  
/ पुत्री / पत्नि श्री .....निवासी .....  
ने वर्ष .....निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. .....
2. .....
3. .....

सचिव  
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों / सांसदों के लिए

## प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / .....पुत्र  
/ पुत्री / पत्नि श्री .....क्षेत्र .....विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्य सभा से विधानसभा / लोकसभा / राज्य सभा के सत्र .....के सदस्य है ।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव  
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा सचिवालय

---

## भूतपूर्व विधायकों / सांसदों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / .....पुत्र  
/ पुत्री / पत्नि श्री .....विधानसभा क्षेत्र / लोकसभा क्षेत्र / राज्य सभा से विधानसभा / लोकसभा / राज्य सभा जिला .....के सत्र .....में सदस्य रहे है एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद है ।

हस्ताक्षर

महासचिव / सचिव  
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा सचिवालय

## SPECIFICATION

S.N.	DESCRIPTION	SPECIFICATION													
A	INTERNAL AREA	MASTER BEDROOM	OTHER BEDROOM	DRAWING DINNING	MASTER TOILET	OTHER TOILET	KITCHEN	BALCONY							
1	FLOORING	TILE 600X1200	TILE 600X1200	TILE 600X1200	TILE 600X600	TILE 600X600	TILE 600X1200	TILE 600X600							
2	WALL FINISHES	ACRYLIC EMULSION PAINT			TILE 600X1200	TILE 600X1200	TILE 600X1200 & ACRYLIC EMULSION PAINT	EXTERNAL TEXTURE PAINT							
3	CEILING FINISHES	ACRYLIC EMULSION PAINT	ACRYLIC EMULSION PAINT	ACRYLIC EMULSION PAINT	GRID CEILING	GRID CEILING	EMULSION PAINT	EMULSION PAINT							
4	MAIN DOOR	40mm Thick Veneer door with PU Polish with Solid Wood (Teak) Door Frame With Premium Quality Hardware & Tools.													
	DOORS	30 to 40mm Thick Laminate Finish Flush Door with Solid Wood (Teak) Door Frame With Premium Quality Hardware & Tools.													
5	WINDOW & VENT	Three Track Euro Profile Aluminium Glazed Door Windows													
6	<b>OTHER SPECIFICATION</b>														
a	SANITARY & CP FITINGS	JAQUAR, KOHLER													
b	ELECTRICAL SWITCHES & PLATES	LEGRAND (MY LINK/ MYRIS), HONEYWELL (CITRIC RANGE)													
c	KITCHEN	BASIC CIVIL WORK WITH GRANITE COUNTER TOP WITH EDGE MOULDING ALL AROUND, 600x1200 WALL TILES UPTO 2'0" HT. ABOVE COUNTER													
d	HVAV	COPPER TUBING FOR HIGH WALL UNIT													
e	RAILING(BALCO NY)	GLASS RAILING IN BALCONY 1200 MM HEIGHT													
7	STAIRCASE	FLOORING - GRANITE PAINT WORK - ACRYLIC EMULSION PAINT RAILING WORK - SS RAILING													
8	OUTER DEVELOPMENT	LANDSCAPE WORK - HIGH CLASS HORTICULTURE WORK HARD SCAPE WORK - GRANITE, COBBLE, SANDSTONE & KOTA STONE KEY FEATURE - GYM, SENIOR CITIZEN AREA, CENTRAL LAWN, AMPHITHEATRE, OUTDOOR KIDS AREA,LADIES CORNER													
C	OTHER SPECS														
1	Complete Security CCTV System with PA system for common area.														
2	Green Building														



**UNIT 01 - PLOT SIZE - 9M X 15M**  
**PLOT SIZE 1453 sq.ft (135 sq.m)**  
**BUILTUP AREA 1205.85 sq.ft + 1188.31 sq.ft. + 199.94 sq.ft. = 2494.10 sq.ft.**

DWARIKAPURI CIRCLE



**राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**  
**कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रतापनगर, जयपुर**

**Greenwood Mansion**

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
 स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

आवेदक/आवेदिका  
 कान्यीनतमफोटो  
 राजपत्रित/  
 नोटेरेपब्लिक द्वारा  
 प्रमाणित

**आवेदन—पत्र**

आवेदन पत्र क्रमांक .....

1	आवेदक / आवेदिका कानाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काटछाट नहीं करें)	श्री/ श्रीमती.....
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछाट नहीं करें)	श्री.....
3	जन्मतिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज.....
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.) नम्बर	.....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछाट नहीं करें)	वेतनिक— अवैतनिक— <input type="checkbox"/>
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	.....  दूरभाषनं ..... मोबाइल नं..... ई—मेल पता.....
9	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 2021–22) पैनम्बर, (लागू हो तो) (अ) स्वयं की (ब) पत्नी / पति की आय (स) आश्रितों की आय कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	.....
10	यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत है तो, पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। (क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है। (ख) पंजीकरण का वर्ष (ग) वरीयता क्रमांक :	.....
11	पंजीकरण राशि रु. ....	.....
12	बैंक ड्राफ्ट सं. बैंक का नाम	दिनांक ..... रु.....

**राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**

आवेदन—पत्र प्राप्तिरसीद

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रतापनगर, जयपुर

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

श्री/ श्रीमती..... से ..... वर्गहेतु .....  
 ..... योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन—पत्र का प्राप्त किया मय बैंक  
 ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम..... शाखा..... ।

(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें।)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

13	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक संलग्न करेंगे।— आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)..... खाता संख्या (सम्पूर्ण)..... खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई)..... बैंक/शाखा का पता..... ..... मोबाइल नम्बर.....
14	निमांकित तालिका में अपनी श्रेणी (✓) इंगित करे (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
	1. सामान्य श्रेणी ( ) 2. अनुसूचित जाति ( ) 3. अनुसूचित जन जाति ( )
15	संलग्नक : (अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैननम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण—पत्र / मूल निवास प्रमाण—पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाणपत्र (व) अन्य वांछित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।
16	घोषणा :- 1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उसका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ। 3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए खतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। 4. आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूटफूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। 5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों का अधिमान क्रम मेनाम निर्देशित करता / करती हूँ— क्र.सं. नाम आयु संबंध <sup>प्रथम</sup> <sup>द्वितीय</sup> <sup>तृतीय</sup>

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान.....

दिनांक.....

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु  
आवेदन क्रमांक .....

## चालान

# राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैकटर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

## Greenwood Mansion

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
स्वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर
2.	योजना का नाम	:	प्रताप नगर योजना के बहुमंजिले फ्लेट्स
3.	आवेदक / आवेदिका का नाम	:	.....
4.	आय वर्ग	:	.....
5.	पत्र व्यवहार का पता	:	..... ..... .....
6.	बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे—ऑर्डर नम्बर दिनांक	:	..... ..... .....
7.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में)	:	रु0 ..... रुपये .....

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा भरा जावें

# राजस्थान आवासन मण्डल

## आवेदन पत्र परीक्षण सूची

### Greenwood Mansion

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथारथान चिपकाया है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं
12.	क्या वार्षिक राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/ नहीं	हॉ/ नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

### कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है –सामान्य / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ दिव्यांग
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क. सहायक / सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स. आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक

आवेदक द्वारा भरा जावें

## राजस्थान आवासन मण्डल पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

### Greenwood Mansion

आरएचबी ग्रीनवुड सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में  
स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के विलाज हेतु

1.	क्रमांक नं. / लोट नम्बर	
2.	आवेदक पत्र क्रमांक	
3.	आवेदक का नाम	
4.	आवेदक के पिता / पति का नाम	
5.	जन्म तिथि	
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण	
	पेनकार्ड नम्बर	
	पासपोर्ट नम्बर	
	ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
	वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थाई पत्र व्यवहार का पता	
	दूरभाष नं. व मोबाईल नम्बर	
8.	अस्थाई पत्र व्यवहार का पता	
9.	आय का विवरण	
	स्वयं की आय	
	पत्नी / पति की आय	
	आश्रित की आय	
	कुल आय	
10.	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष
	श्रेणी व भुगतान पद्धति	
	वरीयता क्रमांक	
11.	श्रेणी	आय वर्ग
12.	भुगतान पद्धति	स्ववित्त पोषित
13.	स्थाई बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहाँ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।	
14.	पंजीकरण राशि	रु.
15.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम	
16.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण	

# हमारी खुशी का संसार हमारा अपना घर



## राजस्थान आवासन मण्डल

‘आवास भवन’ जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर  
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : [dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in](mailto:dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in) | Website : [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb)